रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 124] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 15, 2016/पौष 25, 1937
No. 124] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 15, 2016/PAUSA 25, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2016

का.आ. 140(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने का इच्छुक है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य (अभयारण्य के भीतर स्थित प्रसिद्ध सोमेश्वर मंदिर के अधिष्ठाता भगवान सोमेश्वर के नाम पर नामाकरण किया गया है) । कर्नाटक राज्य के उडूपी जिले के कारकाला और कुंडापूर तालुको और सिमोगा जिले के तीर्थहल्ली तालुका में उत्तरी अक्षांश 13^0 29' और 13^0 36' तथा 74^0 50' और 75^0 05' पूर्वी देशांतर के बीच 1979 में अधिसूचित 314.25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है ;

और, वन्यजीव अभयारण्य की विशेषता 6000-8000 मिलीमीटर की उच्च वर्षा है और इसे, 'दक्षिण भारत की चेरापूंजी' के नाम से जाना जाता है ;

और, सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य की पहाड़ी ढाल में सदाबहार और अर्ध-सदाबहार वन प्रजातियाँ और वास के चारों ओर पादगिरि में मिश्रित नम पर्णपाती वन और समतल और विकृत वन का संभरण है ।

और, सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य में प्रचुर जैव-विविधता है; और जैसे बाघ, तेंदुआ, काला तेंदुआ, जंगली कुत्ता, जंगल बिल्ली, जंगली सूअर, साँभर हिरण, चीतल, मुंजक, लघु पुच्छ वानर, बोनेट वानर, गोर, मुसंग, ऊदबिलाव आदि यह संकटपूर्ण संकटापन्न से संकटापन्न प्रजातियों की संख्या का केंद्र है ।

और, सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के पश्चिमी घाट के समूह में उच्च जैव विविधता के मूल्य की वजह से, कई संकटपूर्ण संकटापन्न प्रजातियों की घटना, क्षेत्र के लोगों की पारिस्थितिकी प्रणाली सेवा के मूल्य और सौदंर्यपरक मूल्य (भू-दृश्य) सम्मिलित है जो विश्व विरासत स्थल में दिनांक 1 जुलाई, 2012 को घोषित किया गया था ।

और, सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से **पारिस्थितिकी संवेदी जोन** के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त **पारिस्थितिकी संवेदी जोन** में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य में सोमेश्वर अभयारण्य की सीमा से 5 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को सोमेश्वर अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन 49.8749 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और जिसका विस्तार सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारो ओर 5 किलोमीटर तक है । मूकाबिका वन्यजीव अभयारण्य और कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के उत्तरी और दक्षिणी तरफ मिलते हैं, परिणामस्वरूप उस तरफ इसी पारिस्थितिकी संवेदी जोन का प्रस्ताव नहीं किया गया है । ऐसे जोन की सीमाओं के ब्यौरे **उपाबंध-I** पर दिए गए हैं ।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आने वाले 27 ग्रामों की सूची उनके मुख्य समन्वयक बिन्दुओं सहित **उपाबंध-II** के रूप में उपाबद्ध है ।

(3) सीमा के ब्यौरे और अक्षांश और देशांतर के ब्यौरों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध-III** के रूप में उपाबद्ध है ।

(4) मुख्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थान (जीपीएस) बिन्दु **उपाबंध-IV** के रूप में उपाबद्ध है ।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना - (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, इस अधिसूचना में दिए गए उपदर्शों का अनुपालन करते हुए, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) उक्त योजना को राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा ।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट रीति में और सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हों, के सामंजस्य से तैयार की जाएगी ।

(4) आचंलिक महायोजना उसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय मुद्दों को सम्मिलित करने के लिए सभी संबंधित राज्य विभागों के साथ परामर्श से तैयार की जाएगी, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित हैं--

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन ;

(iii) शहरी विकास ;

(iv) पर्यटन ;

(v) नगरपालिक ;

(vi) राजस्व ;

(vii) कृषि ;

(viii) कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ;

(ix) सिंचाई ; और

(x) लोक निर्माण विभाग

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिकीय अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोधान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थिक अनुकूल विकास के लिए विनियमित करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) भू-उपयोग - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) में क्रम सं0 12, 18, 24, 29 और 32 के अधीन क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होगा, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिकी अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;

(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और सुदृढ़ करना;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग,

(iv) वर्षा जल संचय, और

(v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधाजनक भंडार और स्थानीय सुविधाएं भी हैं, :

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 तथा तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, इसमें पैरा 3 में निर्दिष्ट मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत - आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्धूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) पर्यटन - (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, पर्यटक महायोजना के अनुसार होंगे, जो आंचलिक महायोजना का एक भाग बनेंगे ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग द्वारा राज्य सरकार के वन और पर्यावरण विभाग के परामर्श से तैयार की जाएगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिकी विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटक क्रियाकलापों के संबंध में अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय सोमेश्वर ऐशवान वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर भीतर होटल और रिसोर्टों का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ;

परंतु संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की सीमा तक नए होटल और रिसोर्ट के स्थापन पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकीय पर्यटन सुविधा के लिए पूर्व परिभाषित और विनिर्दिष्ट स्थान में ही अनुज्ञात किया जाएगा ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) नैसर्गिक विरासत - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए अंतिम अधिसूचना

के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) मानव-निर्मित विरासत स्थल - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) ध्वनि प्रदूषण - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए कर्नाटक राज्य या राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) वायु प्रदूषण - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए कर्नाटक राज्य या राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) बहिस्राव का निस्सारण - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) ठोस अपशिष्ट - ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) जैव चिकित्सा अपशिष्ट - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) यानीय यातायात - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य का सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, पारिस्थितिकी संवेदी जोन मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) औद्योगिक इकाईयां - प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के सिवाए नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ख) जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग की प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप :	
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां प्रतिषिद्ध हैं, सिवाय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं के नहीं होंगी, जिसके अंतर्गत गृहों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए मिट्टी की खुदाई और व्यक्तिक उपभोग के लिए गृहों के निर्माण के लिए देशी टाइलों या ईंटों का संनिर्माण भी है । (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
(2)	आरा मीलों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(3)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों के विस्तार को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।
(4)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(5)	नई बृहत जल विद्युत परियोजना और सिंचाई परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(6)	किन्ही परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(7)	प्राकृतिक जल निकायों या भू-क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(8)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुबारों आदि द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(9)	नए काष्ठ आधारित उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी : परंतु विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग विधि के अनुसार बना रहेगा: परंतु यह भी कि विद्यमान आरा मिलों की अनुज्ञप्तियों की समाप्ति अवधि पर उनका नवीकरण नहीं किया जाएगा ।
(10)	पवन चक्कियां लगाना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
	विनियमित क्रियाकलाप	
(11)	प्लास्टिक के बैगों, लैमिनेटस और टैट्रा पैकों का उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित । प्लास्टिक की वस्तुओं, लैमिनेटस और टैट्रा पैकों के निपटान को कठोरता से विनियमित और मानिटर किया जाएगा ।
(12)	होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी के अनुकूल पर्यटन कार्यकलापों से संबंधित पर्यटकों के लिए

		अस्थायी अवास के राष्ट्रीय पार्क की सीमा के 1 किलोमीटर के भीतर नए वाणिज्यक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना को सिवाए परंतु 1 किलोमीटर से परे और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन कार्यर्यकलापों या विद्यमान कार्यकलापों के विस्तार पर्यटन मास्टर प्लान और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के अनुरूप होंगे ।
(13)	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की एक किलोमीटर की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी । (ख) ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे । (ग) एक किलोमिटर से आगे और पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक वास्तविक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण की अनुज्ञा दी जाएगी और अन्य वाणिज्यिक संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुरूप होंगे। (घ) पारिस्थितिक संवेदी जोन में सन्निर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना की अनुसार होगा ।
(14)	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी । (ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों के लिए कार्ययोजना में दिए गए विवरण का अनुसरण किया जाएगा ।
(15)	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है ।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण (सतही और भूमिगत जल) अनुज्ञात होगा । (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है । (ग) सतही या भूजल का विव्रय अनुज्ञात नहीं होगा । (घ) किसी स्रोत से जिसके अंतर्गत कृषि भी है द्वारा जल के संदूषण या प्रदूषण को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
(16)	विद्युत केबलों, पारेषण लाइनों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण ।	(i) भूमिगत केबल डालने का संवर्धन । (ii) आंचलिक महायोजना या मानीटरी समिति की सिफारिशों के अनुसार विहित के अनुसार पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में विद्युत खम्बों को खड़ा किया जा सकता है । (iii) विद्यमान घरेलू तारे, यदि भूमि से ऊपर हैं तो उनकों < 20 ढाल पर 20 फीट की ऊंचाई पर और > 30 ढाल पर जमीन से 30 फीट की ऊंचाई पर होना चाहिए । (iv) 11 केवी तक घरेलू प्रयोजन के लिए भविष्य में विद्युत तारों को जमीन

		के नीचे बिछाया जाएगा । (v) 11 केवी से अधिक की किसी पारेषण लाइन के लिए दो टावरों के बीच झुकाव बिंदु को भूमि से सुरक्षित स्थान पर होना चाहिए ।
(17)	होटलों और लॉज के विद्‌यमान परिसरों में बाड लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(18)	विद्‌यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे ।
(19)	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
(20)	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(21)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(22)	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण और ठोस अपशिष्ट का निपटान ।	उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना और अबमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्‌यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा ।
(23)	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(24)	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्‌योग।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्‌योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्‌यान कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्‌योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्‌योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, को अनुज्ञात किया जाएगा ।
(25)	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एनटीएफपी) ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(26)	वायु और यानिक प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(27)	कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	संवर्धित क्रियाकलाप	
(28)	स्थानीय समुदायों द्‌वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ डेयरियां, पशुपालन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(29)	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(30)	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(31)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्‌योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(32)	कुटीर उद्‌योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(33)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	बायो गैस, सौर लाइट, आदि का संवर्धन किया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, कर्नाटक राज्य के भीतर आने वाले पारिस्थितिकी संवेदी जोन की प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्‌ :-

(i)	प्रादेशिक आयुक्त, मैसूर	अध्यक्ष
(ii)	पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
(iii)	शहरी विकास विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
(iv)	कर्नाटक सरकार द्‌वारा नामनिर्दिष्ट प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ	सदस्य
(v)	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए	सदस्य

	कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि	
(vi)	कार्यपालक इंजीनियर, कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य
(vii)	उपायुक्त या उसका प्रतिनिधि, सिमोगा	सदस्य
(viii)	उपायुक्त या उसका प्रतिनिधि, उडूपी	सदस्य
(ix)	माननीय विधान सभा सदस्य तीर्थाहल्ली सभा क्षेत्र	सदस्य*
(x)	माननीय विधान सभा सदस्य कारकाला सभा क्षेत्र	सदस्य*
(xi)	माननीय विधान सभा सदस्य उडूपी सभा क्षेत्र	सदस्य*
(xii)	माननीय विधान सभा सदस्य कुंडापुर सभा क्षेत्र	सदस्य*
(xiii)	माननीय विधान सभा सदस्य बिन्दूर सभा क्षेत्र	सदस्य*
(xiv)	उप वन परिरक्षक, सोमेश्वर वन्यजीव प्रभाग	सदस्य-सचिव

* (इस शर्त के अधीन रहते हुए कि कर्नाटक राज्य सरकार अन्य बातों के साथ सुसंगत अनुमोदन, जिसके अंतर्गत कर्नाटक विधान सभा के सभापति की अनुज्ञा भी है, यदि अपेक्षित हो, अभिप्राप्त करेगी) ।

6. निर्देश निबंधन :

(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त, ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(5) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव रक्षक को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध V** पर उपाबद्ध रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/143/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-I

सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन

उत्तर: सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य सीमा के प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के निकट स्थान दसिकन से आरंभ होकर और टोम्बेत्तु आर.एफ. के साथ आड़े-तिरछे पूर्व दिशा की ओर और कनचिकल अब्बे प्रताप के निकट पहुँचती है । (उस समय, मुकंबिका वन्यजीव अभयारण्य के संबंध में निकटवर्ती क्षेत्र है । अतः सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा रेखा प्रस्तावित सीमा रेखा में रखी गई है) इसके बाद रेखा वरही नदी के साथ पूर्व की ओर आड़े-तिरछे और मनीबईलु राज्य वन की सीमा छुती है । इसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन रेखा मनीबईलु राज्य वन की सीमा के साथ जाती है और स्थिति बिंदु बी. एम. 549.4 में पहुँचती है ।

दक्षिण: इसके बाद सीमा सोमेश्वर आरक्षित वन सीमा के साथ दक्षिण-पश्चिम की दिशा में जाती है और सुजीकालुगुड्डा पहुँचती है इसके अतिरिक्त रेखा सोमेश्वर आरक्षित वन सीमा के साथ पश्चिम की ओर आड़े-तिरछे और कुटरेकल्लु के निकट स्थान पहुँचती है । इसके बाद रेखा सोमेश्वर आरक्षित वन सीमा उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर आड़े-तिरछे और कोरथाबाइलु पहुँचती है । इसके बाद रेखा अनदारु आर.एफ. की सीमा के साथ उत्तर-पश्चिम की ओर आड़े-तिरछे और कोनकानारावेत्तु का निकट सोमेश्वर आरक्षित वन रेखा छुती है । इसके अतिरिक्त रेखा उत्तर की ओर आड़े-तिरछे और सोमेश्वर आरक्षित वन की सीमा रेखा के साथ होती हुई और स्थिति बिंदु बी.एम. 59.6 को छुती है । इसके बाद रेखा राजस्व वन सीमा रेखा के साथ आड़े-तिरछे और राजस्व वन सीमा रेखा से घिरे हंडीमाने और चंदुकुण्डु के साथ उत्तर की ओर से होते हुए और हेबरी के निकट बिंदु छुती है । इसके बाद रेखा कुचुर सड़क के साथ उत्तर की ओर से होते हुए आड़े-तिरछे और काल्लीलुगुड्डा स्थान छुती है । इसके अतिरिक्त रेखा नवोदय पुल से होते हुए पश्चिम की ओर आड़े-तिरछे और बसादी सड़क से होते हुए और इसके बाद रेखा राजस्व वन सीमा रेखा से घिरे हुए हांडीकाल्लु, कलथुरबेत्तु से होते हुए जाती है । इसके अतिरिक्त रेखा राजस्व वन सीमा रेखा वनिकलु के साथ दक्षिण-पश्चिम की ओर आड़े-तिरछे जाती है ।

पश्चिम: पारिस्थितिकी संवेदी सीमा रेखा सड़क के साथ उत्तर की ओर जाती है सीतान्नदी नदी के निकट स्थान छुती है । इसके बाद रेखा उत्तर-पूर्व की ओर आड़े-तिरछे और गुम्माहोला फुटपाथ सड़क छुती है । इसके अतिरिक्त रेखा राजस्व वन सीमा रेखा से घिरे होंकल के साथ उत्तर की ओर आड़े-तिरछे जाती है । इसके अतिरिक्त रेखा होंकलहोले के साथ आड़े-तिरछे और इसके बाद कमथा के निकट स्थान पहुँचती है । इसके बाद रेखा दक्षिण की ओर आड़े-तिरछे दुपादकट्टे, बलिंजे सड़क छुती है ; इसके अतिरिक्त बदलु के निकट सड़क के साथ दक्षिण की ओर आड़े-तिरछे जाती है । इसके अतिरिक्त रेखा साल्लेकाट्टे के निकट सड़क के साथ पूर्व की ओर आड़े-तिरछे जाती है । इसके बाद रेखा पूर्व की ओर आड़े-तिरछे और रेखा माथकलगुड्डे की राजस्व वन सीमा रेखा से होते हुए जाती है । इसके अतिरिक्त रेखा पूर्व की ओर आड़े-तिरछे और कानबेट्टु पहुँच कर और कुचुर की राजस्व सीमा रेखा के साथ आड़े-तिरछे और हालेकोडलु स्थान पहुँचती है ।

पूर्व: इसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा रेखा वरही राज्य वन की सीमा के साथ दक्षिण-पश्चिम की ओर जाती है और चयात्रारामाने स्थान बिंदु पहुँचती है । इसके बाद रेखा सड़क के साथ उत्तर की ओर आड़े-तिरछे और बेलागिनामाने के निकट स्थान छुती है । इसके बाद रेखा उत्तर पूर्व की ओर आड़े-तिरछे और इसके बाद निरगा से होते हुए फुटपाथ सड़क के साथ दक्षिण-पूर्व की ओर जाती है और कोरनाकोटे बिंदु पहुँचती है । इसके बाद रेखा सड़क के साथ दक्षिण-पूर्व की ओर आड़े-तिरछे और हेबागिलु स्थान छुती है । इसके बाद रेखा धारा के साथ दक्षिण-पूर्व की ओर आड़े-तिरछे कोकोड्डु स्थान बिंदु पहुँचती है । इसके बाद रेखा देनसे जंगल के बीच दक्षिण-पूर्व की ओर और धारा के साथ आड़े-तिरछे; लिमाने

स्थान बिंदु पहुँचती है और इसके बाद रेखा दक्षिण की ओर आड़े-तिरछे और थम्बीनकलु के निकट सड़क पहुँचती है । इसके बाद रेखा दक्षिण-पश्चिम की ओर आड़े-तिरछे और बी.एम. 635.5 स्थान पहुँचती है । इसके अतिरिक्त रेखा धारा के साथ पूर्व की ओर आड़े-तिरछे इसके बाद अगुम्बेहोले के साथ आड़े-तिरछे और मणिपाल-शिमोगा के राज्य राजमार्ग छुती है । इसके अतिरिक्त रेखा सड़क के साथ आड़े-तिरछे अगुम्बे-सुरुलीहाल्ला सड़क के पश्चिम की ओर जाती है। इसके बाद रेखा दक्षिण-पूर्व की ओर आड़े-तिरछे और अगुम्बे राजस्व वन रेखा से होते हुए और अगुम्बे-मालानदुर सड़क छुती है । इसके बाद रेखा उत्तर की ओर आड़े-तिरछे और अगुम्बे- श्रींगेरी सड़क छुती है । इसके अतिरिक्त रेखा सड़क के साथ आड़े-तिरछे और अगासराकोने सड़क छुती है । इसके बाद रेखा हौसानगढ़ी की वन राजस्व सीमा रेखा के साथ आड़े-तिरछे जाती है । इसके बाद रेखा धारा के साथ दक्षिण-पूर्व की ओर आड़े-तिरछे और थल्लुरनगढ़ी के निकट स्थान बिंदु छुती है । इसके अतिरिक्त रेखा सड़क के साथ उत्तर की ओर आड़े-तिरछे अगुम्बे- श्रींगेरी सड़क छुती है । इसके बाद रेखा सड़क के साथ पूर्व की ओर आड़े-तिरछे हौसागढ़े स्थान बिंदु पहुँचती है । इसके अतिरिक्त रेखा धारा के साथ दक्षिण की ओर आड़े-तिरछे बालेहली राज्य वन की सीमा रेखा छुती है । इसके बाद रेखा बालेहली और सोमेश्वर आर.एफ. की सीमा के साथ दक्षिण की ओर आड़े-तिरछे और मनिक्याबेट्टा के निकट स्थान पहुँचती है । (उपरान्त कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान के निकटवर्ती क्षेत्र अतः, सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य सीमा के लिए पारिस्थितिकी संवेदी जोन है) ।

उपाबंध–II

सोमेश्वर पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	जिला	तालुक	स्थिति	क्षेत्र (हेक्टे में)	देशांतर	अक्षांश	टिप्पणी
1	शिमोगा	होसानगरा	हुम्मादागल्लु	256.68	75.049771	13.684149	आंशिक गांव
2	शिमोगा	होसानगरा	उलथिगा	716.32	75.057031	13.626626	आंशिक गांव
3	शिमोगा	होसानगरा	कोरागिनाकोटे	99.41	75.072842	13.616470	आंशिक गांव
4	उदुपी	कुन्दापुरा	अमासेबैल	79.64	74.991554	13.614892	आंशिक गांव
5	शिमोगा	तिरथाहल्ली	हुरुली	45.30	75.090445	13.611578	आंशिक गांव
6	शिमोगा	तिरथाहल्ली	शुन्तीहाक्कालु	39.45	75.090074	13.607454	आंशिक गांव
7	शिमोगा	तिरथाहल्ली	शिवाल्ली	99.85	75.108293	13.597401	आंशिक गांव
8	शिमोगा	तिरथाहल्ली	दसानाकोदिगे	334.94	75.109134	13.585280	आंशिक गांव
9	शिमोगा	तिरथाहल्ली	होसुर	0.00	75.102694	13.563166	आंशिक गांव
10	शिमोगा	तिरथाहल्ली	अगुम्बे	482.50	75.099423	13.526273	आंशिक गांव
11	शिमोगा	तिरथाहल्ली	ताल्लुर	53.52	75.109144	13.526413	आंशिक गांव
12	शिमोगा	तिरथाहल्ली	बलेहाल्ली	107.76	75.137522	13.502316	आंशिक गांव
13	उदुपी	करकाल	मुदरादी	370.00	75.024602	13.441484	आंशिक गांव
14	उदुपी	करकाल	हेबरी	13.43	75.008418	13.463422	आंशिक गांव
16	उदुपी	करकाल	कुच्चुर	78.06	75.000222	13.482597	आंशिक गांव
17	उदुपी	करकाल	चारा	10.40	74.957262	13.476905	आंशिक गांव
18	उदुपी	उदुपी	कल्तुर	149.69	74.943290	13.465333	आंशिक गांव
19	उदुपी	उदुपी	नल्कुर	27.03	74.922328	13.479176	आंशिक गांव
20	उदुपी	कुन्दापुरा	बेलवे ना	333.54	74.949480	13.491579	आंशिक गांव
21	उदुपी	कुन्दापुरा	बेलवे	61.33	74.931588	13.497514	आंशिक गांव
22	उदुपी	कुन्दापुरा	अलबादी	271.17	74.971649	13.516779	आंशिक गांव
23	उदुपी	करकाल	बेलान्जे	212.36	74.974005	13.502245	आंशिक गांव
24	उदुपी	कुन्दापुरा	सदासाक्की	357.79	75.003677	13.534675	आंशिक गांव

25	उदुपी	कुन्दापुरा	शेदीमाने	91.69	74.983540	13.567804	आंशिक गांव
26	उदुपी	कुन्दापुरा	समशे	637.32	74.979477	13.591815	आंशिक गांव
27	उदुपी	कुन्दापुरा	मचट्टु	58.31	74.963790	13.644035	आंशिक गांव
				4987.49			

उपाबंध-III

सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन को उपदर्शित करने वाला मानचित्र

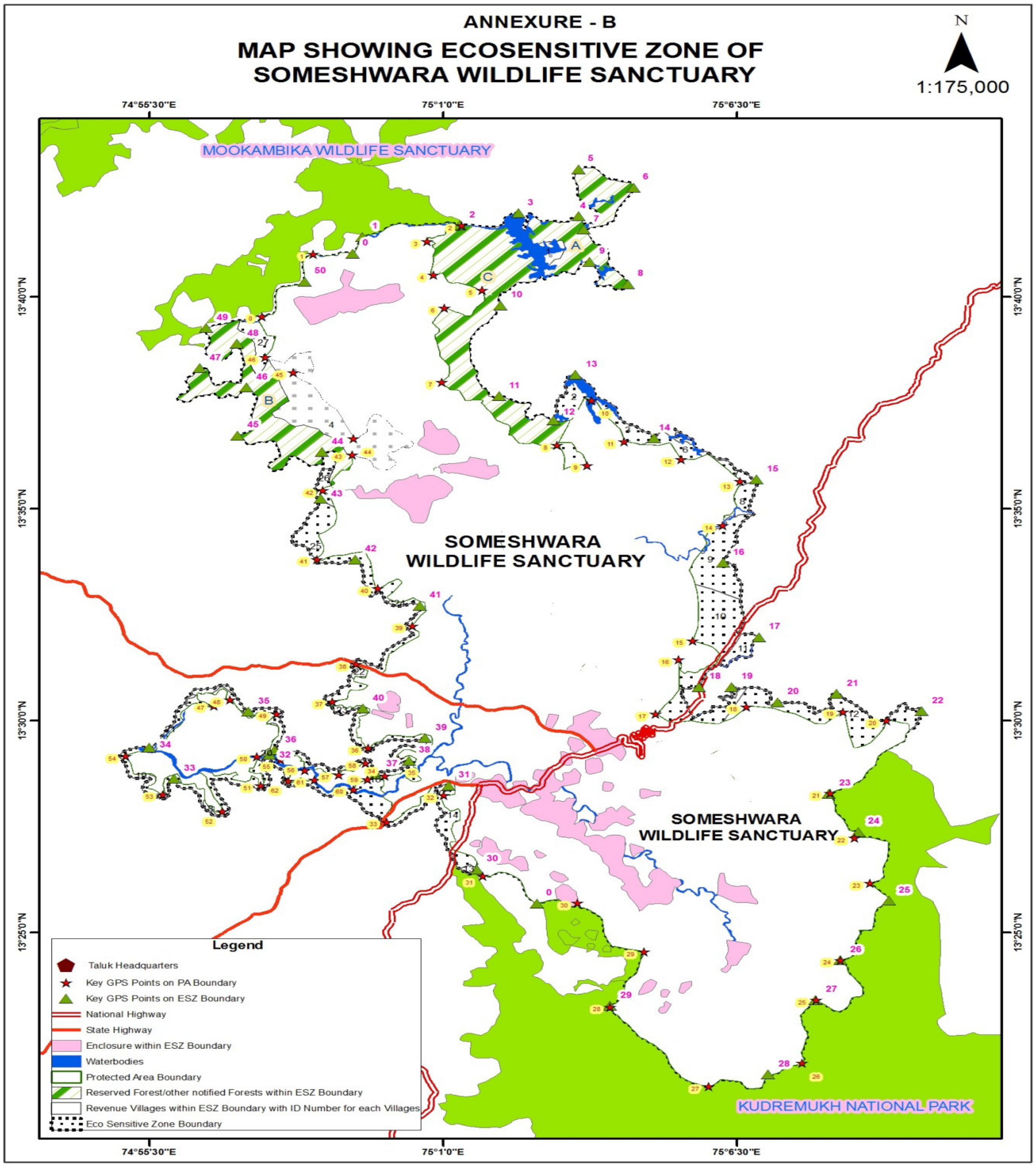

उपाबंध-IV

सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के जीपीएस अवस्थान

मानचित्र में स्थिति	अक्षांश डिग्री दशमलव में	देशांतर डिग्री दशमलव में
0	74.960033	13.658837
1	74.976019	13.683379
2	75.022450	13.694445
3	75.011610	13.688272
4	75.013679	13.675084
5	75.028849	13.669054
6	75.016926	13.662078
7	75.016186	13.632928
8	75.052116	13.608138
9	75.061492	13.600303
10	75.062982	13.625826
11	75.073038	13.609666
12	75.090925	13.602582
13	75.109362	13.593994
14	75.103838	13.576602
15	75.094568	13.531371
16	75.090170	13.523818
17	75.082949	13.502518
18	75.111371	13.505320
19	75.141448	13.503432
20	75.154960	13.499955
21	75.137357	13.471340
22	75.145053	13.453747
23	75.149852	13.435962
24	75.140681	13.405706
25	75.132976	13.389986
26	75.128758	13.365247
27	75.099571	13.356065
28	75.068720	13.387359
29	75.079387	13.409054
30	75.058602	13.428273
31	75.028967	13.438801
32	75.016747	13.470540
33	74.998968	13.460078
34	74.998411	13.478237

35	75.002630	13.484727
36	74.993277	13.489194
37	74.982033	13.507382
38	74.989374	13.522129
39	75.007040	13.537198
40	74.996268	13.551845
41	74.977269	13.563345
42	74.979012	13.590464
43	74.988171	13.604512
44	74.988678	13.610805
45	74.969769	13.636833
46	74.961035	13.642808
47	74.945166	13.505799
48	74.950110	13.508184
49	74.964585	13.502600
50	74.958498	13.485772
51	74.959745	13.474395
52	74.947698	13.464148
53	74.929051	13.470836
54	74.917520	13.485972
55	74.965784	13.484484
56	74.973343	13.480360
57	74.984041	13.478496
58	74.992409	13.483150
59	74.992978	13.476783
60	74.988537	13.472873
61	74.976354	13.476611
62	74.968249	13.476125

सोमेश्वर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के जीपीएस अवस्थान

मानचित्र में स्थिति	**अक्षांश डिग्री दशमलव में**	**देशांतर डिग्री दशमलव में**
0	74.988405	13.683571
1	74.991407	13.690205
2	75.021794	13.694688
3	75.040113	13.699486
4	75.058858	13.698244
5	75.058853	13.716751

6	75.076063	13.709554
7	75.060554	13.693075
8	75.074407	13.671572
9	75.062391	13.680426
10	75.034628	13.663209
11	75.034241	13.627535
12	75.051065	13.617939
13	75.058027	13.635908
14	75.082584	13.611009
15	75.114543	13.594774
16	75.104029	13.562021
17	75.115263	13.532733
18	75.096544	13.513171
19	75.106641	13.513223
20	75.120985	13.507157
21	75.139495	13.510510
22	75.166095	13.503735
23	75.137149	13.471180
24	75.146242	13.456265
25	75.155788	13.429172
26	75.140620	13.405795
27	75.132959	13.390126
28	75.118120	13.360804
29	75.068794	13.387789
30	75.027148	13.441463
31	75.018338	13.474403
32	74.962398	13.486656
33	74.932657	13.477090
34	74.924938	13.489320
35	74.955829	13.503496
36	74.964152	13.488297
37	74.995672	13.478786
38	75.006030	13.484213
39	75.011077	13.493063
40	74.991602	13.504655
41	75.009408	13.545124
42	74.989204	13.563328
43	74.978474	13.587241
44	74.978759	13.605558

45	74.952438	13.612025
46	74.955268	13.630932
47	74.940706	13.638520
48	74.952321	13.648079
49	74.942768	13.654353
50	74.973363	13.672555

उपाबंध-V

पारिस्थितिकी संवेदी जोन मानीटरी समिति-की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रुप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन मास्टर प्लान भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. महत्ता का कोई अन्य विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2016

S.O. 140(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Someshwara Wildlife Sanctuary (named after Lord Someshwara, the presiding deity of the famous Someshwara Temple located within the sanctuary) situated in the Karkala and Kundapur Talukas of District Udupi and in Thirthahalli Taluka, District Shimoga, Karnataka lies between 13^{o}29' and 13^{o}36'N latitude and 74^{o}50' and 75^{o}05'E longitude notified in 1979 and is spread over an area of 314.25 square kilometers;

AND WHEREAS, the Wildlife Sanctuary is characterised by high rainfall of 6000-8000 mm and is known as the 'Chirrapunji of South India';

AND WHEREAS, the Someshwara Wildlife Sanctuary supports evergreen and semi-evergreen forest species in the hill slopes and semi-evergreen and mixed moist deciduous forest at foot hills and plains and degraded forest around habitations;

AND WHEREAS, the Someshwara Wildlife Sanctuary is rich in biodiversity, and is home to a number of critically endangered to endangered species such as the Tiger, Leopard, Black Panther, Wild Dog, Jungle Cat, Wild Pig, Sambhar Deer, Spotted Deer, Barking Deer, Lion Tailed Macaque, Bonnet Macaque, Gaur, Palm Civet, Otters, etc;

AND WHEREAS, due to its high biodiversity value, occurrence of many critically endangered species, its valued ecosystem services to the people of the region and its aesthetic value (landscape), the Someshwara Wildlife Sanctuary has been included as pert of one of the cluster of Western Ghats which was declared on 1st July, 2012 as a World Heritage Site;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the geographical area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notifications around the protected area of Someshwara Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental aspects to conserve and protect the biodiversity and wildlife therein and its environment and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent upto 5 kilometres around the boundary of Someshwara Wildlife Sanctuary in the State of Karnataka as the Someshwara Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The area of Eco-Sensitive Zone is 49.8749 square kilometres with an extent upto 5 kilometres around the boundary of Someshwara Wildlife Sanctuary. Mookambika Wildlife Sanctuary and Kudremukh National Park adjoin the northern side and southern side of the Someshwara Wildlife Sanctuary consequently, no Eco-sensitive Zone has been proposed on these sides. The boundary details of such Zone are given in **Annexure-I**.

(2) The list of 27 villages falling within Eco-sensitive Zone along with co-ordinates of prominent points is appended as **Annexure-II.**

(3) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure-III.**

(4) Key locations (GPS points) on the eco-sensitive zone boundary as well as on the sanctuary are appended as **Annexure-IV.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the competent authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such a manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment;

(ii) Forest;

(iii) Urban Development;

(iv) Tourism;

(v) Municipal;

(vi) Revenue;

(vii) Agriculture;

(viii) Karnataka State Pollution Control Board;

(ix) Irrigation;

(x) Public Works Department ;

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that needs attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 12, 18, 24, 29 and 32 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc., for Eco-friendly tourism activities,

(ii) Widening and strengthening of existing roads.

(iii) Small scale industries not causing pollution,

(iv) Rainwater harvesting, and

(v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution of India or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, in consultation with Department of Forests and Environment of the State Government.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate

Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Someshwara Wildlife Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected areas till the extent of the eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of final notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of final notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or Karnataka State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made there under.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government or Karnataka State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made there under.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974)and the rules made there under.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) The inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial Units.-** (a) No establishment of new wood based industries within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the law.

(b) No establishment of any new industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited except for the domestic needs of *bona fide* local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Establishment of new thermal and major hydroelectric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Use or production of any hazardous substances including pesticides and insecticides.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided the existing wood-based industry may continue as per law: Provided further that renewal of licenses of existing saw mills shall not be done on their expiry period.
10.	Erection of wind mills .	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
Regulated activities		
11.	Use of plastic carry bags, laminates and tetra packs.	Regulated under applicable laws. Disposal of plastic articles laminates and tetra packs shall be strictly regulated and monitored.
12.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities. However, beyond one kilometer and upto the extent of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansion of existing activities would in conformity with the Tourism Master Plan.
13.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundary of the protected area: Provided that, local people shall be permitted to undertake

		construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3: (b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (c) beyond one kilometer upto the extent of Eco-Sensitive Zone construction for bone fide local needs shall be allowed and other construction activities shall be regulated as per Zonal Master Plan. (d) construction activity in the Eco-sensitive zone shall be as per Zonal Master Plan.
14.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government; (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder. (c) in case of Reserve Forests and Protected Forests the Working Plan prescriptions shall be followed.
15.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land; (b) extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned regulatory authority; (c) no sale of surface water or ground water shall be permitted; (d) steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
16.	Erection of electrical cables, transmission lines and telecommunication towers.	(i) Promote underground cabling. (ii) Electric polis can be erected within the Eco-sensitive Zone as per the prescriptions under the Zonal Master Plan or with the recommendation of monitoring committee. (iii) Existing domestic lines – if over ground should be at the height of 20 feet for slope < 20 degree and for slope > 30 degree it should be at the height of 30 feet from the ground. (iv) For any future laying of electric lines for the domestic purpose up to 11KV has to be done underground (v) For any transmission line more than 11KV the "sag" point between the two towers should be at safe distance from the ground.
17.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
18.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
20.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
21.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
22.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area and disposal of solid waste.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
23.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.

24.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
25.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
26.	Air and vehicular pollution	Regulated under applicable laws.
27.	Drastic change of agriculture systems.	Regulated under applicable laws.
Promoted activities		
28.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws.
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy sources	Bio gas, solar light etc to be promoted

5. Monitoring Committee.- The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone falling in the State of Karnataka , which shall comprise of the following namely:-

(i) Regional Commissioner, Mysore - Chairman

(ii) Representative of Department of Environment, Government of Karnataka - Member

(iii) Representative of Department of Urban Development, Government of Karnataka - Member

(iv) An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Karnataka for a period of one year. - Member

(v) One representatives of Non-governmental Organisation (working in the field of environment including heritage conservation) to be nominated by the Government of Karnataka for a period of one year. - Member

(vi) Executive Engineer, Karnataka Pollution Control Board - Member

(vii) Deputy Commissioner or his representative Shimoga - Member

(viii) Deputy Commissioner or his representative Udupi - Member

(ix) Hon'ble Member of Legislative Assembly , Thirthahalli Constituency - Member*

(x) Hon'ble Member of Legislative Assembly Karkala Constituency - Member*

(xi) Hon'ble Member of Legislative Assembly, Udupi Constituency, -Member*

(xii) Hon'ble Member of Legislative Assembly, Kundapur Constituency -Member*

(xiii) Hon'ble Member of Legislative Assembly, Byndoor Constituency -Member*

(xiv) Deputy Conservator of Forests Someshwara Wildlife Division - Member-Secretary

*(Subject to the State Government of Karnataka obtaining relevant approvals, *inter alia,* including permission from the Speaker of Legislative Assembly, Karnataka, if required)

6. Terms of Reference.- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The activities that are covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(3) The activities that are not covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro- forma appended at **Annexure-V**.

(7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/143/2015-ESZ-RE]

Dr.T.CHANDINI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

Boundary details of Eco-sensitive Zone of Someshwara Wildlife Sanctuary

North: The proposed Eco-sensitive zone of Someshwara Wildlife Sanctuary Boundary starts at the locality near Dasikan and traverses along the Tombettu R.F towards east direction and reaches near Kanchikal abbe falls. (Since, adjoining area is belongs to Mookambika Wildlife Sanctuary. Hence, proposed boundary line is taken as the boundary line of Someshwara Wildlife Sanctuary.) Then the line traverses towards east all along the Varahi River and touches the boundary of Manibailu Sate forest. Then the ESZ line runs all along the boundary of Manibailu state forest (since the large area has to be taken because the entire Varahi State forest and Manibailu state forest will be taken for the Eco-sensitive Zone area) and reaches the location point at B.M 549.4.

South: Then the boundary runs in the direction of South West along the Someshwara R.F. Boundary and reaches Sujikallugudda further then the line traverses towards West along Someshwara Reserved Forest Boundary and reaches the locality near Kutrekallu. Then the line traverses towards North West direction along the Someshwara Reserved Forest Boundary and reaches Korthabailu. Then the line traverses towards North West all along the boundary of Andaru RF and touches the Someshwara RF line near Konkanarabettu. Further the line traverses towards North and passes along the boundary line of Someshwara RF and touches the location point at B.M 59.6. Then the line traverses along madige enclosure revenue forest boundary line and passes towards North along the Handimane & Chandukundu enclosure revenue forest boundary line and touches the point near Hebri. Then the line traverses towards North passes along the Kuchur road & touches the location Kallillugudda. Further the line traverses towards West through Navodaya Bridge and passes through the Basadi road and then the line passes Handikallu, Kalthurbettu enclosure revenue forest boundary line. Further the line traverses towards South West along the revenue forest boundary line Wonikallu.

West: The eco sensitive boundary line runs towards North along road touches the location near Sitanadi River. Then the line traverses towards North East and touches the Gummahola footpath road. Further the line traverses towards North along the Honkal enclosure revenue forest boundary line. Further the line traverses along the Honkalhole and then reaches

the locality near Kamtha. Then the line traverses towards South touches the Doopadkatte, Belinje road further traverses towards South all along the road near Badlu. Further the line traverses towards East along the road near Sallekatte. Then the line traverses towards East and the line passes the revenue forest boundary line of Mathkalgudde. Further the line traverses towards East and reaches Kanbettu and traverses along the revenue boundary line of Kuchur and touches the locality Halekodlu.

East: Then the ESZ boundary line runs towards South West along the boundary of Varahi State forest and reaches the location point Chyatrarmane. Then the line traverses towards North along the road and touches the locality Near Belagina mane. Then the line traverses towards North East and then towards South East along the footpath road through Nirga and reaches the point Koranakote. Then the line traverses towards South East along the road and touches the location Hebagilu. Then the line traverses towards South East along the stream reaches the location point Kokodu. Then the line traverses towards South East between dense jungle and along the stream reaches the location point Ilimane & then the line traverses towards South and reaches the road near Thumbinkallu. Then the line traverses towards South West and reaches the location B.M 635.5. Further the line traverses towards East along the stream then traverses along the Agumbe Hole and touches the state highway of Manipal – Shimogga. Further the line traverses along the road towards West on Agumbe – Surulihalla road. Then the line traverses towards South East and passes the Agumbe revenue forest line and touches the Agumbe – Malandoor road. Then the line traverses towards North and touches the Agumbe – Shringeri road. Further the line traverses all along the road and touches the Agasarakone road. Then the line traverses along the forest revenue boundary line of Hosangadi. Then the line traverses towards South East along the Stream and touches the location point near Thallurangadi. Further the line traverses towards North along the road touches the Agumbe – Shringeri road. Then the line traverses towards east all along the road reaches the location point Hosagadde. Further the line traverses towards South along the stream touches the boundary line of Balehalli State forest. Then the line traverses towards South all along the boundary of Balehalli & Someshwara RF and reaches the location near Manikyabetta (since the adjoining area is pertaining to Kudremukh National Park therefore, Someshwara Wildlife Sanctuary boundary is considered for Eco-sensitive zone boundary)

ANNEXURE-II

List of the villages falling within the Someshwara Wildlife Sanctuary Eco-Sensitive Zone

Sl. No	District	Taluk	Location	Area in Ha	Longitude	Latitude	Remarks
1	Shimoga	Hosanagara	Hummadagallu	256.68	75.049771	13.684149	Partial Village
2	Shimoga	Hosanagara	Ulthiga	716.32	75.057031	13.626626	Partial Village
3	Shimoga	Hosanagara	Koraginakote	99.41	75.072842	13.616470	Partial Village
4	Udupi	Kundapura	Amasebail	79.64	74.991554	13.614892	Partial Village
5	Shimoga	Tirthahalli	Huruli	45.30	75.090445	13.611578	Partial Village
6	Shimoga	Tirthahalli	Shuntihakkalu	39.45	75.090074	13.607454	Partial Village
7	Shimoga	Tirthahalli	Shivalli	99.85	75.108293	13.597401	Partial Village
8	Shimoga	Tirthahalli	Dasanakodige	334.94	75.109134	13.585280	Partial Village
9	Shimoga	Tirthahalli	Hosur	0.00	75.102694	13.563166	Partial Village
10	Shimoga	Tirthahalli	Agumbe	482.50	75.099423	13.526273	Partial Village
11	Shimoga	Tirthahalli	Tallur	53.52	75.109144	13.526413	Partial Village
12	Shimoga	Tirthahalli	Balehalli	107.76	75.137522	13.502316	Partial Village
13	Udupi	Karkal	Mudradi	370.00	75.024602	13.441484	Partial Village
14	Udupi	Karkal	Hebri	13.43	75.008418	13.463422	Partial Village
16	Udupi	Karkal	Kuchchur	78.06	75.000222	13.482597	Partial Village
17	Udupi	Karkal	Chara	10.40	74.957262	13.476905	Partial Village
18	Udupi	Udupi	Kaltur	149.69	74.943290	13.465333	Partial Village
19	Udupi	Udupi	Nalkur	27.03	74.922328	13.479176	Partial Village
20	Udupi	Kundapura	Belve Na	333.54	74.949480	13.491579	Partial Village
21	Udupi	Kundapura	Belave	61.33	74.931588	13.497514	Partial Village
22	Udupi	Kundapura	Albadi	271.17	74.971649	13.516779	Partial Village
23	Udupi	Karkal	Belanje	212.36	74.974005	13.502245	Partial Village
24	Udupi	Kundapura	Madamakki	357.79	75.003677	13.534675	Partial Village
25	Udupi	Kundapura	Shedimane	91.69	74.983540	13.567804	Partial Village
26	Udupi	Kundapura	Samshe	637.32	74.979477	13.591815	Partial Village
27	Udupi	Kundapura	Machattu	58.31	74.963790	13.644035	Partial Village
				4987.49			

Annexure-III

Map of Eco-sensitive zone

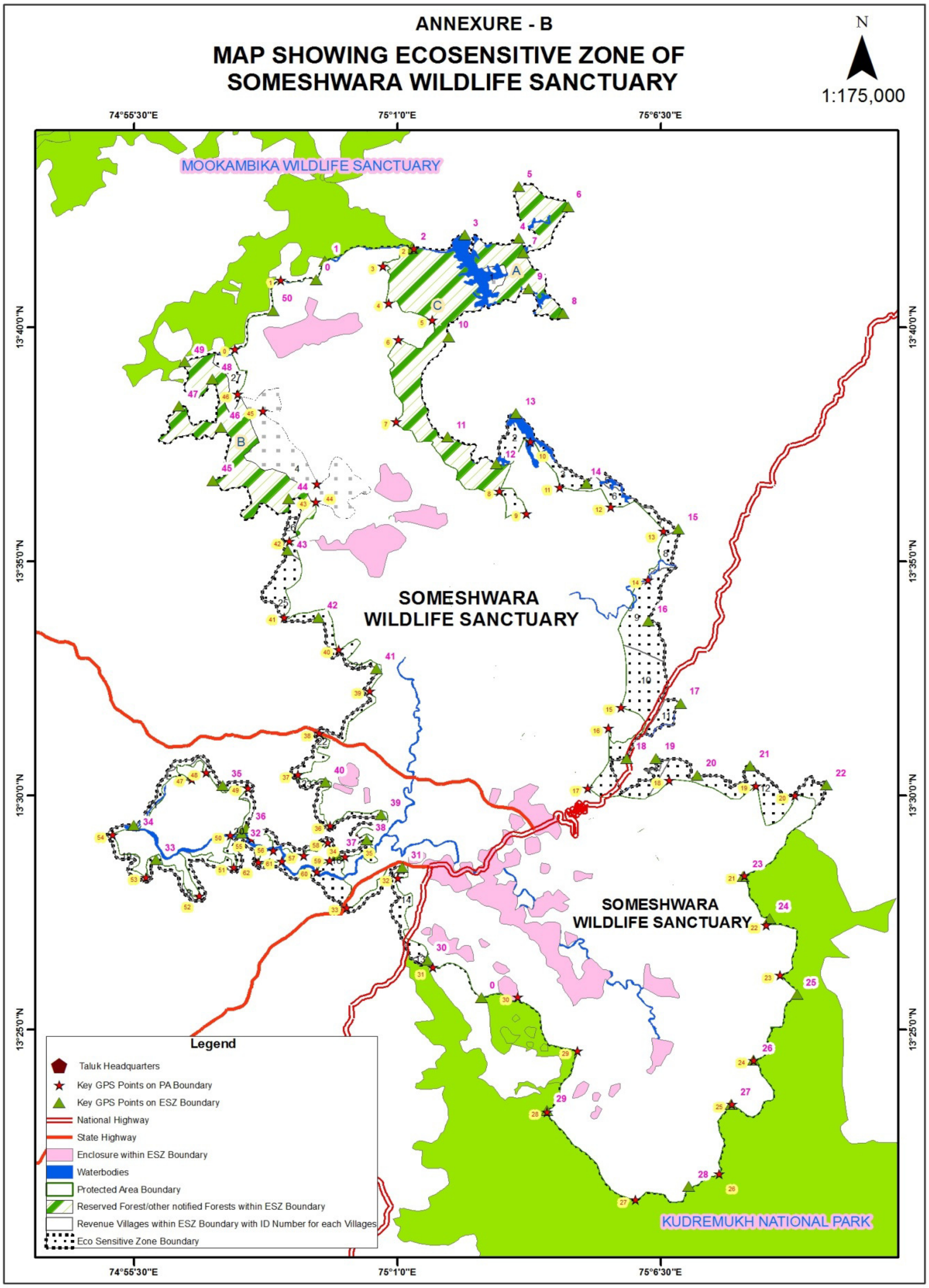

Annexure-IV

GPS locations of Someshwara Wildlife Sanctuary

Location on the Map	**Latitude in degree decimal**	**Longitude in degree decimal**
0	74.960033	13.658837
1	74.976019	13.683379
2	75.022450	13.694445
3	75.011610	13.688272
4	75.013679	13.675084
5	75.028849	13.669054
6	75.016926	13.662078
7	75.016186	13.632928
8	75.052116	13.608138
9	75.061492	13.600303
10	75.062982	13.625826
11	75.073038	13.609666
12	75.090925	13.602582
13	75.109362	13.593994
14	75.103838	13.576602
15	75.094568	13.531371
16	75.090170	13.523818
17	75.082949	13.502518
18	75.111371	13.505320
19	75.141448	13.503432
20	75.154960	13.499955
21	75.137357	13.471340
22	75.145053	13.453747
23	75.149852	13.435962
24	75.140681	13.405706
25	75.132976	13.389986
26	75.128758	13.365247
27	75.099571	13.356065
28	75.068720	13.387359
29	75.079387	13.409054
30	75.058602	13.428273
31	75.028967	13.438801
32	75.016747	13.470540
33	74.998968	13.460078
34	74.998411	13.478237
35	75.002630	13.484727
36	74.993277	13.489194
37	74.982033	13.507382
38	74.989374	13.522129
39	75.007040	13.537198
40	74.996268	13.551845
41	74.977269	13.563345
42	74.979012	13.590464
43	74.988171	13.604512
44	74.988678	13.610805
45	74.969769	13.636833
46	74.961035	13.642808
47	74.945166	13.505799
48	74.950110	13.508184
49	74.964585	13.502600
50	74.958498	13.485772
51	74.959745	13.474395
52	74.947698	13.464148
53	74.929051	13.470836

54	74.917520	13.485972
55	74.965784	13.484484
56	74.973343	13.480360
57	74.984041	13.478496
58	74.992409	13.483150
59	74.992978	13.476783
60	74.988537	13.472873
61	74.976354	13.476611
62	74.968249	13.476125

GPS locations of Someshwara Eco-Sensitive Zone boundary

Location on the Map	Latitude in degree decimal	Longitude in degree decimal
0	74.988405	13.683571
1	74.991407	13.690205
2	75.021794	13.694688
3	75.040113	13.699486
4	75.058858	13.698244
5	75.058853	13.716751
6	75.076063	13.709554
7	75.060554	13.693075
8	75.074407	13.671572
9	75.062391	13.680426
10	75.034628	13.663209
11	75.034241	13.627535
12	75.051065	13.617939
13	75.058027	13.635908
14	75.082584	13.611009
15	75.114543	13.594774
16	75.104029	13.562021
17	75.115263	13.532733
18	75.096544	13.513171
19	75.106641	13.513223
20	75.120985	13.507157
21	75.139495	13.510510
22	75.166095	13.503735
23	75.137149	13.471180
24	75.146242	13.456265
25	75.155788	13.429172
26	75.140620	13.405795
27	75.132959	13.390126
28	75.118120	13.360804
29	75.068794	13.387789
30	75.027148	13.441463
31	75.018338	13.474403
32	74.962398	13.486656
33	74.932657	13.477090
34	74.924938	13.489320
35	74.955829	13.503496
36	74.964152	13.488297
37	74.995672	13.478786
38	75.006030	13.484213
39	75.011077	13.493063
40	74.991602	13.504655
41	75.009408	13.545124
42	74.989204	13.563328

43	74.978474	13.587241
44	74.978759	13.605558
45	74.952438	13.612025
46	74.955268	13.630932
47	74.940706	13.638520
48	74.952321	13.648079
49	74.942768	13.654353
50	74.973363	13.672555

ANNEXURE-V

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.

   [Details may be attached as Annexure]
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006.

   [Details may be attached as separate Annexure]
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006.

   [Details may be attached as separate Annexure]
7. Summary of complaints ledged under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.